उत्तराखण्ड में यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (*Cordyceps sinensis*) के संग्रहण विदोहन एवं रायल्टी आदि की प्रकिया हेतु केता/व्यापारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में

सूचना

सर्व साधारण को एतद्सह सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–667/X–3–18–16 (01)/2014 दिनांक 08–10–2018 के बिन्दु संख्या– 12 के अनुसार यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (*Cordyceps sinensis*) के केता/व्यापारियों जैसे भेषज संघ, वन निगम अथवा निजि व्यक्ति को यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (*Cordyceps sinensis*) के कय–विकय हेतु अनुज्ञा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा नियत प्रपत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से जारी की जायेगी। यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (*Cordyceps sinensis*) की कय प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के इच्छुक निजि केताओं/व्यक्तियों/व्यापारियों को सम्बन्धित वन प्रभाग में पंजीकरण किया जाना है। इस हेतु इस वन प्रभाग द्वारा पंजीकरण हेतु दिनांक 25–05–2024 को सायं 05.00 बजे तक की तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि व समय के उपरान्त यारसा गम्बू/कीड़ा–जड़ी (*Cordyceps sinensis*) के केता/व्यापारियों का पंजीकरण नहीं किया जायेगा। जिन केताओं/व्यक्तियों/व्यापारियों द्वारा विगत वर्ष 2023–24 में इस वन प्रभाग में पंजीकरण कराया जा चुका है वें भी शासनादेशानुसार दिनांक 25–05–2023 तक अपना नवीनीकरण कराना सुनिश्चित करें। पंजीकरण हेतु निम्न दस्तावेज निर्धारित तिथि तक प्रभागीय कार्यालय नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ में जमा करने पर पंजीकरण किया जायेगा।

1– सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा 06 माह से अनधिक अवधि में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।
2– सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (जो 06 माह से अधिक पुरान न हो)
3– बैंक द्वारा जारी कैडिट लिमिट का प्रमाण पत्र।
4– फोटो पहचान पत्र।
5– पते का प्रमाण पत्र (स्थाई निवास प्रमाण पत्र)
6– रू0 10000.00 (रू0– दस हजार) की धनराशि वन राजस्व में जमा करना होगा।
7– जिन केता/व्यापारियों द्वारा इससे पूर्व इस वन प्रभाग में पंजीकरण कराया गया है। वे पंजीकरण का नवीनीकरण हेतु उपरोक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, बैंक द्वारा जारी केडिट लिमिट का प्रमाण पत्र तथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा रू 1000.00 (रू एक हजार) का नवीनीकरण शुल्क जमा करने पर नवीनीकरण किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस को प्रभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(बी0 बी0 मर्तोलिया)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

कार्यालय उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

Phone & Fax No.- 01389-222179 E-mail- dfonandadevi@gmail.com

nandadevi biosphere reserve

पत्रांक–3434 / 8-3C(3) जोशीमठ, दिनांक, 26 अप्रैल 2024

प्रतिलिपि 1– मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, मूल्यांकन आई0टी0 और आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि, उक्त सूचना को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।
प्रतिलिपि 2– निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि 3– उप प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि 4– वन क्षेत्राधिकारी, जोशीमठ एवं फूलों की घाटी राजि गोविन्दघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 बी0 मर्तोलिया)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

पत्रांक / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि– सम्पादक, दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक हिन्दुस्तान जोशीमठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम सरकारी दर पर शीघ्रति शीघ्र प्रकाशित करते हुये भुगतान हेतु बिल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(बी0 बी0 मर्तोलिया)
उप वन संरक्षक,
नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।

CamScanner